धारा 172 : कठिनाईयों को दूर करना

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से [1]**[**पांच वर्ष**]** की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

---

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''तीन वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया।